न्यायालय उप जिला कलक्टर सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –दीपक सिंह खटाना (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या: 01 / 2022

1–सूरजप्रकाश 2–मुन्नालाल पुत्रगण देवीराम जातिगण वैश्य निवासीगण ग्राम कुम्हेरी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर .....अपीलान्ट

बनाम

1–सरपंच ग्राम पंचायत कोलुआ
2–चन्द्रप्रकाश 3–सुरेश पुत्र देवी जाति वैश्य निवासी कुम्हेरी 4–मायादेवी पत्नी रामचरन 5–जंगलिया 6–श्यामसिंह 7–रामलाल पुत्रगण रामचरन जाति वैश्य निवासी कुम्हेरी 8–मालती देवी पुत्री रामचरन पत्नी अरविन्द जाति वैश्य निवासी कुम्हेरी हाल निवासी धौला कुआ लोहागढ माली गली लसकर ग्वालियर 9–पुष्पा पुत्री रामचरन पत्नी सन्तोष जाति वैश्य निवासी कुम्हेरी हाल निवासी खन्दारी मऊँ आगरा (उ0प्र0) .....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 15.01.1983 एवं नामान्तकरण संख्या 484 दिनांक 10.09.1997 द्वारा ग्राम पंचायत कोलुआ बाबत विरासत।

उपस्थिति– 1–श्री रामगोपाल परमार एडवोकेट..... अपीलान्ट
2–श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट..... रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 22.09.2022

अपीलान्ट की ओर से अपील न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत गई कि विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 33 के खसरा संख्या 335 रकवा 0.4426 हैक्टेयर, 336 रकवा 0.6575 हैक्टेयर व खसरा संख्या 461 रकवा 0.5690 हैक्टेयर, 463 रकवा 0.7966 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 471 रकवा 0.4173 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकवा 0.8830 हैक्टेयर वाकेग्राम कालुआ पुरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर है जो अपीलान्टह एवं अन्य 6 खातेदारान के संयुक्त खातेदारी की एवं सयुक्त उपयोग एवं उपभोग की कृषि भूमि है जिस पर अपीलान्ट संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त विवादित कृषि भूमि अपीलान्ट एवं अन्य सह खातेदारान की पैतृक सम्पत्ति है जो विरासतन पूर्वजों से पिता एवं चाचा से प्राप्त हुई है जिसके विरासत नामान्तकरण जेर अपील नम्बर 192 दिनांक 15.01.1983 एवं 484 दिनांक 10.09.1997 राजस्व कर्मचारियों एवं सरपंच ग्राम पंचायत कोलुआ द्वारा स्वीकार किये गये जिसमें अपीलान्ट सूरज प्रकाश का नाम नामान्तकरण संख्या 192 में सूरज प्रकाश के स्थान पर सूरजा पुत्र देवीराम गलत रूप से अंकित कर दिया है तथा मुन्नालाल के स्थान पर गलत रूप से ओजेन्द्रसिंह पुत्र देवीराम अंकित कर दिया है जबकि सही नाम मुन्नालाल है। जिससे उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 15.01.1983 एवं नामान्तकरण संख्या 484 दिनांक 10.09.1997 से व्यथित होकर अपीलान्ट अन्य निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत करते है। कि उपरोक्त नामान्तकरण जेर अपील नम्बरी 192 दिनांक 15.01.19983 एवं 484 दिनांक 10.09.1997 विरासतन पिता देवीराम एवं चाचा बाबूलाल के गलत नाम अंकित कर स्वीकार किये गये है। जो विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत स्वीकार किये गये है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता स्व0 देवीराम के देहान्त के उपरान्त अपने उत्तराधिकारी के रूप में पुत्रगण चन्द्रप्रकाश, सूरज प्रकाश,

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

नालाल, सुरेश को छोड़ा जिन्होंने उनका समस्त तर्का प्राप्त किया विवादित कृषि भूमि पर समस्त रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान में भी काबिज है। अपीलान्ट से सूरजप्रकाश पुत्र देवीराम का सही नाम है तथा इसी नाम से अपीलान्ट के समस्त कागजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, पेन कार्ड और अंकतालिका कक्षा 10 की मार्कशीट में अपीलान्ट का नाम सूरजप्रकाश ही अंकित है। सूरजा पुत्र देवीराम नाम का कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत कुम्हेरी में नहीं है। अपीलान्ट से मुन्नालाल पुत्र देवीराम का सही नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है तथा उक्त अपीलान्ट के समस्त कागजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक की पासबुक, पेनकार्ड, आदि समस्त कागजात में मुन्नालाल पुत्र देवीराम के नाम से है। ओजेन्द्र सिंह पुत्र देवीराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम कुम्हेरी में नहीं है। जबकि मुन्नालाल पुत्र देवीराम ही एक मात्र वारिस है। नामान्तकरण जेर अपील के स्वीकार किये जाते समय राजस्व कर्मचारी एवं सरपंच महोदय ने अपीलान्ट के नाम सहवन से गलत अंकित कर दिये है। जिससे अपीलान्ट को गलत इन्द्राज होने से ऋण प्राप्त करने में व अन्य प्रकार के कार्य करने के लिये काफी परेशानी उठानी पढ़ रही है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का कृषि ऋण हेतु सम्पर्क करने पर 5 दिवस पूर्व हुई जिसे शुद्ध किये जाने हेतु हल्का पटवारी से निवेदन किया तो उक्त संशोधन करने से मना कर दिया तथा न्यायालय में कार्यवाही हेतु करने को प्रेरित किया। अपीलान्ट कम पढे लिखे कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ जो व्यापार करते है। जिसमें व्यस्त रहने से जानकारी उपरोक्त गलत प्रविष्टियों जानकारी नहीं होते ही बिना देरी के अन्दर अवधि में सद्भावना पूर्वक अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। अपीलान्ट ने गलती जानबूझकर कोई गलती नहीं की हैं तथा बाबजूद पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम वास्ते क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण जेर अपील अपील संख्या 192 दिनांक 15.11.1983 व 484 दिनांक 10.09.1997 निरस्त किये जाकर सही नाम अपीलान्ट के सूरजप्रकाश पुत्र देवीराम एवं मुन्नालाल पुत्र देवीराम के नाम अंकित कराया जावे तथा गलत प्रविष्टि सूरजा पुत्र देवीराम एवं ओजेन्द्र पुत्र देवीराम प्रविष्टियां निरस्त की जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये नोटिस रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। चूंकि मूल अपील के निस्तारण से पूर्व हम प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम की तरफ रोशनी डालना चाहेंगे विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के मुताबिक मूल अपील के निस्तारण से पूर्व म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अपीलान्ट कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ व्यक्ति है जिनको राजस्व रिकॉर्ड में हो रही अवैध इन्द्राजात की जानकारी नहीं रही जैसे ही जानकारी हुयी तो जानकारी से अन्दर अवधि अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर रहे हैं अतः अपील अन्दर म्याद शुमार की जावे। हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 पर गहनता से मनन किया तथा मननोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि म्याद के बिन्दू को अपील को परिस्थितियों को देखते हुये विलम्ब को क्षमा की जाकर अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

रेस्पो0 की ओर से अपील का कोई लिखित जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया। इस बाबत् रेस्पोडेन्ट का ज़बाब बन्द किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामा0 संख्या 192 दिनांक 15.01.1983 एवं नामान्तकरण संख्या 484 दिनांक 10.09.1997 वाकेग्राम कोलुआ ग्राम पंचायत कोलुआ निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व0 देवीराम के समस्त विधिक वारिसानो को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे । निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप जिला कलक्टर
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ